

—सत्तावन—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-1290 / 11-2005-500(68)-2004
लखनऊ, दिनांक 03 मई, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-206

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपने उपयोजन के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या एस0आर0 2365 / 11-96-500(12)-89, दिनांक 29 अगस्त, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, शब्द और अंक "45,000.00 रुपये (पैंतालीस हजार रुपये)" के स्थान पर शब्द और अंक "रुपये 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये)" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-1290/XI-2005-500(68)-2004, dated May 03, 2005 for general information:

No. K.N.-5-1290/XI-2005-500(68)-2004
Lucknow, Dated May 03, 2005
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government notification no. S.R. 2365/XI-96-500(12)-89 dated August 29, 1996.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the first paragraph, for the words and figures, "Rs. 45,000.00 (Rupees forty five thousand)" the words and figures, "Rs. 5.00 lakh (Rupees five lakh)" shall be substituted.

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.